1

Reports under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1964.

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरिसह): महोदय मैं एकाधिकार तथा ग्रवरोधक व्यवहार ग्रधिनियम, 1969 की धारा 62 के ग्रधीन निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (ग्रंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं:——

- (i) 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1976 की भ्रवधि के लिए एकाधिकार तथा श्रवरोधक व्यवहार श्रधिनियम, 1969 के उपवन्धों को लागू करने के संबंध में छठा वार्षिक प्रतिवेदन । [Placed in Library. See No. LT-2315/78].
- (ii) एकाधिकार तथा ग्रवरोधक व्यवहार ग्रिधिनियम, 1969 की धारा 21(3) (ख) के ग्रधीन खोपोली (वम्बई) में एसीटिल सेलीसिलिक ऐसिड़ ग्राई० पी० (एसिपिरन) तथा ग्रन्य सेलीसिलेट्स के उत्पादन के लिए ग्रपनी क्षमताग्रों के पर्याप्त विस्तार हेतु मेसर्स ग्रालता लोबोरेट-रीज प्राइवेट लिमिटेड, वम्बई के मामले में एकाधिकार तथा ग्रवरोधक व्यवहार ग्रायोग का प्रतिवेदन, ग्रौर उस पर केन्द्रीय सरकार का ग्रादेण दिनांक 2 मई, 1978 [Placed in Library. See No. LT-2314/78].
- I. Report (April 1978) of the Law Commission of India on the Hindu Marriage Act, 1955
- II. Report of the Law Commission of India on Article 220 of the Constitutution and related paper

श्री नरिसंह: महोदय मैं निम्नलिखित पत्नों की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं:---

(1) (i) हिन्दू विवाह ग्रधिनियम, 195 के बारे में भारत के विधि ग्रायोग इकहत्तरवां प्रतिवेदन (ग्रप्रैल, 1978) विवाह के ग्रमुधार्य रूप से टूट जाने को विवाह-विच्छेद के ग्राधार के रूप में लिया जाना।

- (ii) संविधान के अनुच्छेद 220 के सम्बन्ध में भारत के विधि आयोग का बहत्तरवां प्रतिवेदन : स्थायी न्यायाधीश होने के पश्चात् वकालत पर निर्वन्धन ।
- (2) (1) ऊपर (i) में उल्लिखित प्रतिवेदनों का हिन्दी पाठ साथ-साथ सभा पटल पर न रखने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (श्रंग्रेजी तथा हिन्दी में)

[Placed in Library. See No. LT-2313/78 for (1) and (2)].

## Report of the Railway Convention Committee

SHRI SYED AHMAD HASHMI (Uttar Pradesh): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Third Report of the Railway Convention Committee on the action taken by Government on the recommendations contained in the Ninth Report of the Committee, 1973, on Social Burdens on Indian Railways.

Petition Re: working and service conditions of the extra departmental employees of the Posts and Telegraphs Department

SHRIMATI LEELA DAMODARA MENON (Kerala): Sir, I beg to present a petition signed by Shri B. K. Samantarary, Mail Carrier, Co Sub-Postmaster, Nuapada (Ganjam) and 33 others regarding working and service conditions of the Extra Departmental Employees of the Posts and Telegraphs Department.